Volume: 4 Issue: 9 Pages: 52-56

एक राष्ट्र, एक चुनाव: भारतीय लोकतंत्र में संभावनाएँ और चुनौतियाँ

[*1] नरेश कुमार

[*1] असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय ग्राम हरदोई, अतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 11/Aug/2025
Accepted: 09/Sep/2025

***Corresponding Author**
नरेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय ग्राम हरदोई, अतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश:
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ चुनाव ही वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपनी राजनीतिक इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूर्ति करती है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव प्रक्रिया का स्वरूप बदलता रहा है। प्रारंभिक वर्षों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन समय के साथ यह परंपरा टूट गई। वर्तमान समय की स्थिति यह है कि लगभग प्रत्तेक वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा उभरी है। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण भारत में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएँ। यह मुद्दा राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक बहस का केंद्र बन चुका है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पक्ष में तर्क हैं कि इससे चुनाव खर्च घटेगा, प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी और नीतियों के क्रियान्वयन में स्थिरता आएगी। जबकि विरोध में तर्क है कि यह भारतीय संघीय ढाँचे और राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर कर देगा।

मुख्य शब्द: एक राष्ट्र, एक चुनाव, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक बदलाव, संघीय ढाँचा ।

प्रस्तावना:

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्रारंभिक चुनाव (1952-1967) का समय

भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। इस समय लोकसभा और अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए। 1952, 1957, 1962 और 1967 तक यह परंपरा बनी रही। इस दौरान मतदाताओं को केवल एक बार मतदान करना होता था और लोकसभा तथा विधानसभा दोनों के प्रतिनिधि चुन लिए जाते थे।

1967 के बाद अस्थिरता का समय

1967 का चुनाव भारतीय राजनीति का टर्निंग प्वाइंट कहा जाता है। इस चुनाव में पहली बार कई राज्यों में कांग्रेस की सत्ता कमजोर हुई और गठबंधन सरकारें बनने लगीं।

- परिणामस्वरूप राज्यों की विधानसभाएँ अक्सर अपनी पूर्ण अवधि से पहले भंग होने लगीं।
- इसी समय केंद्र स्तर पर भी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली।
- 1970 में चौथी लोकसभा अपनी अवधि पूरी करने से पहले ही भंग कर दी गई।
- 1971 और 1972 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर कराए गए।

यही वह दौर था जब लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र टूट गया और दोनों चुनावों के बीच असमानता पैदा हो गई।

1980-1990 का दशक: अस्थिर गठबंधन की राजनीति

1980 के दशक में और खासकर 1989 के बाद केंद्र में अस्थिर गठबंधन सरकारें बनने लगीं। तथा राज्यों में भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। परिणामस्वरूप, भारत में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होने लगे। इससे चुनाव आयोग और प्रशासन पर निरंतर दबाव बना रहने लगा।

2014 के बाद की स्थिति

2014 के आम चुनाव के बाद जब केंद्र में स्थिर बहुमत की सरकार बनी, तो "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के मुद्दे ने नया रूप लिया। 2015 में नीति आयोग ने इस पर एक चर्चा पत्र जारी किया। 2017 में निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो इसे लागू किया जा सकता है। 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि संविधान में संशोधन कर इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। 2023 में केंद्र सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति (जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने

की) गठित की। इस समिति का उद्देश्य था—एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक संवैधानिक और कानूनी परिवर्तनों पर सुझाव देना।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में लगभग हर साल कोई न कोई चुनाव होता है— कभी लोकसभा कभी किसी राज्य विधानसभा का चुनाव, तो कभी निकाय चुनाव। बार-बार चुनाव कराने से चुनावी खर्च, राजनीतिक दलों का संसाधन, प्रशासनिक व्यवस्था और नीति निर्माण प्रभावित होते हैं। इसी वजह से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा को आज के संदर्भ में एक व्यावहारिक समाधान माना जा रहा है।

अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में एक साथ चुनाव की परंपरा नई नहीं है, बल्कि 1952 से 1967 तक यह व्यवस्थित रूप से लागू थी। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और समय से पहले सदनों के भंग होने से यह परंपरा टूट गई।वर्तमान में पुनः इसे लागू करने की चर्चा हो रही है, लेकिन अब परिस्थितियाँ कहीं अधिक जटिल हैं— संघीय ढाँचे की मजबूती, राज्यों की स्वायत्तता और राजनीतिक विविधता को देखते हुए।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा केवल एक राजनीतिक विचार नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक और कानूनी ढांचे से जुड़ा हुआ विषय है। भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं की अवधि, उनके विघटन और चुनाव की प्रक्रिया के स्पष्ट प्रावधान हैं। इस कारण एक साथ चुनाव कराने के लिए कई संवैधानिक संशोधन और कानूनी सुधार आवश्यक हैं।

संवैधानिक प्रावधान

1. अनुच्छेद 83 (2) संसद (लोकसभा) की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रपति समय से पहले भी लोकसभा भंग कर सकते हैं। यदि लोकसभा अपनी पूर्ण अवधि पूरी करती है तो पाँच वर्ष बाद चुनाव होना अनिवार्य है।
2. अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा बुलाने और भंग करने का अधिकार है। यह प्रावधान समय से पहले चुनाव कराने की संभावना देता है।
3. अनुच्छेद 172 (1) प्रत्येक राज्य विधानसभा की अवधि पाँच वर्ष होती है। राज्यपाल समय से पहले विधानसभा भंग कर सकते हैं।
4. अनुच्छेद 174 राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और भंग करने का अधिकार है।
5. अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधानसभा भंग हो सकती है या निलंबित हो सकती है। यह प्रावधान राज्यों की स्थिरता को प्रभावित करता है और चुनाव चक्र में असमानता ला सकता है।

कानूनी प्रावधान

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of People Act, 1951): इसमें चुनाव कराने, समय-सीमा, चुनाव आयोग की शक्तियों और आचार संहिता के नियमों का उल्लेख है। यदि "एक साथ चुनाव" कराए जाने हैं तो इस अधिनियम में व्यापक संशोधन आवश्यक होगा।

चुनाव आयोग की शक्तियाँ

अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है।

एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को अधिक संसाधन और कानूनी समर्थन चाहिए।

आवश्यक संविधान संशोधन

1. लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि का समन्वय करने के लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा करना या बढ़ाना पड़ सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करना होगा।
2. सदन भंग करने की राष्ट्रपति और राज्यपाल शक्ति का पुनःनिर्धारण करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सदन भंग करने की स्वतंत्र शक्ति है। इसे सीमित या परिवर्तित करना होगा ताकि चुनाव चक्र बाधित न हो।
3. आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न हो और समय से पहले चुनाव की नौबत न आए, इसके लिए नए सुरक्षा प्रावधान आवश्यक होंगे।
4. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर चुनाव की अधिसूचना, नामांकन, चुनाव कार्यक्रम, आचार संहिता आदि को पुनर्परिभाषित करना होगा।

विधि आयोग और संसदीय समितियों की राय

- विधि आयोग (2018) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि सभी राजनीतिक दल सहमत हों और संवैधानिक संशोधन किए जाएँ, तो एक साथ चुनाव कराना संभव है। आयोग ने सुझाव दिया कि यदि कोई सदन अपनी अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाता है, तो नई सरकार केवल शेष अवधि के लिए ही चुनी जाए, ताकि चुनाव चक्र प्रभावित न हो।
- संसदीय स्थायी समिति (2015) ने माना कि बार-बार चुनाव से सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। समिति ने चरणबद्ध तरीके से एक साथ चुनाव की दिशा में बढ़ने का सुझाव दिया।

चुनाव आयोग की राय

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा की यह व्यवस्था को संभव बताया है, लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और VVPAT की आवश्यकता होगी। प्रशासनिक और सुरक्षाबल का अभूतपूर्व प्रबंध करना होगा। इसके लिए कानूनी और संवैधानिक बदलाव भी अनिवार्य होंगे। संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए संविधान में संशोधन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बड़े बदलाव और सभी राजनीतिक दलों की सहमति आवश्यक है। केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति ही नहीं, बल्कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखना भी अनिवार्य है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के लाभ

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" कि यह व्यवस्था भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनावी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किफायती बना सकती है। इससे न केवल चुनावी खर्च घटेगा बल्कि प्रशासन और नीतिगत कार्यान्वयन में भी स्थिरता

आर्थिक लाभ

1. **चुनाव खर्च में कमी:** भारत में बार-बार चुनाव कराने पर सरकार और राजनीतिक दलों का भारी खर्च होता है। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ हों, तो चुनाव आयोग, सुरक्षाबल और राजनीतिक दलों का खर्च कम किया जा सकता है।
2. **संसाधनों की सुरक्षा:** बार-बार चुनाव होने से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है। बार-बार चुनाव होने से शीर्ष नेता केवल

चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं एक साथ चुनाव से ये संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास परियोजनाओं में लगाया जा सकेगा।

प्रशासनिक लाभ

1. **सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव कम होगा:** प्रत्तेक चुनाव में बड़ी मात्रा में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। यदि चुनाव एक साथ हों तो सुरक्षा बलों की बार-बार की तैनाती से बचा जा सकेगा।
2. **प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव कम होगा:** चुनाव संपन्न कराने में हजारों अधिकारी-कर्मचारी लगते हैं। बार-बार चुनाव से उनका नियमित कार्य प्रभावित होता है। प्रशासन राष्ट्र हित में कोई कदम नहीं बढ़ा पाता है। और यह व्यस्तता राष्ट्र की विकास संभावनाओ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है तथा समुचित शासन में बाधा उत्पन्न करता है। एक साथ चुनाव से प्रशासनिक मशीनरी को राहत मिलेगी और वे विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

नीतिगत और राजनीतिक लाभ

1. **आचार संहिता का बोझ कम होगा:** हर चुनाव के समय आचार संहिता लागू होती है, जिससे नई योजनाएँ और नीतियाँ ठप पड़ जाती हैं।
   यदि चुनाव साथ हों तो आचार संहिता बार-बार लागू नहीं होगी और नीतियों का क्रियान्वयन सुचारु रहेगा।
2. **नीति निर्माण में स्थिरता:** लगातार चुनावों के कारण सरकारें अक्सर "लोकलुभावन नीतियों" पर अधिक ध्यान देती हैं।
   एक साथ चुनाव से नीति-निर्माताओं को दीर्घकालिक योजनाएँ बनाने का अवसर मिलेगा।
3. **राजनीतिक स्थिरता:** एक साथ चुनाव कराने से केंद्र और राज्य सरकारों का कार्यकाल लगभग समान होगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार सरकार बदलने की स्थिति कम होगी।

मतदाताओं के लिए सुविधा एवं भागीदारी में वृद्धि

वर्तमान व्यवस्था में मतदाताओं को बार-बार मतदान केंद्र जाना पड़ता है। बार-बार चुनाव से मतदाताओं में "चुनावी थकान" होती है। यदि एक साथ चुनाव हो तो मतदाता एक ही बार में वोट डाल सकेंगे। तथा एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत भी बढ़ सकता है।

चुनाव आयोग की व्यवस्था

यदि चुनाव साथ हों तो उसे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में सुविधा होगी। एक बार चुनाव संपन्न होने के बाद आयोग कई वर्षों तक चुनावी प्रक्रिया से मुक्त रहेगा और अपनी ऊर्जा मतदाता सूची सुधारने और पारदर्शिता बढ़ाने में लगा सकेगा।

राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक अखंडता

एक साथ चुनाव से देश में "राष्ट्रीय और विकास के मुद्दों" पर अधिक चर्चा होगी। छोटे-छोटे चुनावी मुद्दे और स्थानीय राजनीति का प्रभाव कम होगा। इससे लोकतांत्रिक विमर्श अधिक परिपक्व और दीर्घकालिक बनेगा। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" से भारत में चुनावी प्रक्रिया अधिक सरल, किफायती और व्यवस्थित हो सकती है। इससे आर्थिक संसाधन बचेंगे, प्रशासनिक तंत्र पर बोझ कम होगा, नीतिगत स्थिरता आएगी और मतदाता भागीदारी बढ़ेगी। तथा भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को और मजबूत करेगी।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" से हानि

जहाँ एक ओर "एक राष्ट्र, एक चुनाव" से लोकतंत्र की मजबूती और आर्थिक बचत का साधन माना जा रहा हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भारतीय संघीय ढाँचे और राज्यों की स्वायत्तता के प्रतिकूल माना जा रहा है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक, विविधता वाले देश में इसे लागू करना व्यावहारिक रूप से कठिन है।

संघीय ढाँचे के प्रतिकूल

1. **राज्यों की स्वायत्तता का हनन हो सकता है:** भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जहाँ राज्यों को स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता प्राप्त है। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हमेशा साथ होंगे, तो राज्यों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। राज्यों की सरकारें केंद्र के चुनावी माहौल में दब जाएँगी और क्षेत्रीय मुद्दों की आवाज़ कमजोर होगी।
2. **केंद्र का वर्चस्व बढ़ेगा:** राष्ट्रीय दलों का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। क्षेत्रीय दल, जो राज्यों की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, हाशिये पर जा सकते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र की बहुलता कमजोर हो सकती है।

व्यावहारिक कठिनाइयाँ

1. यदि किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा समय से पहले भंग हो जाए, तो क्या फिर से पूरे देश में चुनाव होंगे? अगर केवल उस राज्य/लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं तो "एक साथ चुनाव" की अवधारणा टूट जाएगी।
2. एक साथ चुनाव कराने के लिए लाखों अतिरिक्त EVM और VVPAT मशीनों की आवश्यकता होगी। इनके भंडारण, रख-रखाव और सुरक्षा की चुनौती बहुत बड़ी होगी। सुरक्षाबलों की इतनी भारी संख्या में उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या होगी।
3. भारत का आकार और जनसंख्या इतनी विशाल है कि एक साथ चुनाव कराना एक अभूतपूर्व चुनौती होगी। मतदान केंद्रों, बैलेट बॉक्स/EVM प्रबंधन और मतगणना की प्रक्रिया कहीं अधिक जटिल हो जाएगी।

क्षेत्रीय राजनीति और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी

1. यदि चुनाव साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों (जैसे विदेश नीति, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा) का प्रभाव मतदाताओं के निर्णय पर अधिक होगा।
2. राज्य स्तरीय मुद्दे (जैसे किसानों की समस्या, स्थानीय बेरोजगारी, जल संकट आदि) दब सकते हैं।
3. एक साथ चुनाव में क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के सामने कमजोर पड़ सकते हैं।

संवैधानिक और कानूनी समस्याएं

1. लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि अलग-अलग समय पर समाप्त होती है। इन्हें एक साथ लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, और 356 में संशोधन करना होगा। यह प्रक्रिया केवल संसद ही नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं की मंज़ूरी भी माँगती है।
2. राजनीतिक सहमति का अभाव है सर्वसम्मति बनाना बेहद कठिन है। क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों के हित इस मुद्दे पर टकराते हैं। कि विपक्षी दल इसे केंद्र द्वारा राज्यों की शक्ति सीमित करने का प्रयास मानते हैं।

लोकतांत्रिक प्रणाली पर असर

बार-बार चुनाव होने से जनता को सरकारों की नीतियों पर नियमित प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलता है। यदि चुनाव केवल पाँच साल में एक बार होंगे, तो जनता की "तत्काल जवाबदेही" कम हो जाएगी। लोकतांत्रिक अवसरों की कमी हो जाएगी।

राजनैतिक सहभागिता का क्षरण

भारत में चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव माना जाता हैं। बार-बार चुनाव होने से नागरिक सहभागिता बनी रहती है, जो एक साथ चुनाव में सीमित हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" जैसी अवधारणा केवल भारत तक सीमित नहीं है। कई देशों ने अपने संघीय ढाँचे या एकात्मक शासन प्रणाली में चुनावों को एक साथ या निर्धारित समय-सारणी पर आयोजित करने का प्रयास किया है। जैसे -

1. जर्मनी में भारत की तरह एक संघीय लोकतंत्र है। संघीय संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होते हैं। लेकिन चुनाव पूर्व-निर्धारित कैलेंडर के अनुसार होता हैं। राज्यों में सरकार गिरने पर वहाँ समय से पहले चुनाव होते हैं, लेकिन केंद्र पर उसका सीधा असर नहीं पड़ता। इस प्रकार चुनावी स्थिरता बनी रहती है, परंतु चुनाव पूरी तरह एक साथ नहीं होते।
2. दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति और संसद सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। और मतदाता एक ही समय पर राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व का चयन कर लेते हैं।
3. स्वीडन में संसद, काउंटी काउंसिल और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव हर चार साल में एक साथ होते हैं। चुनाव की तारीख पहले से तय होती है (सितंबर के दूसरे रविवार को)। यहाँ चुनाव प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रहती है। प्रशासनिक खर्च भी कम होता है।
4. इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, संसद और स्थानीय सरकारों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं।
5. अमेरिका में संघीय ढाँचा है राष्ट्रपति चुनाव हर चार साल में होता है। प्रतिनिधि सभा का चुनाव हर दो साल में होते हैं। सीनेट के चुनाव चरणबद्ध होते हैं (हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य)। राज्यों के गवर्नर और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। लेकिन अमेरिका में इसे लोग लोकतांत्रिक जीवन का हिस्सा माना जाता है। भारत भी यदि लगातार चुनावों को लोकतांत्रिक सशक्तिकरण माने, तो "एक साथ चुनाव" का दबाव ख़त्म किया जा सकता है।
6. ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है जहां पाँच साल की निश्चित अवधि के लिए संसद चुनी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहें तो संसद भंग कर जल्दी चुनाव करा सकते हैं। नगर परिषदों और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव अलग-अलग होते हैं।इस प्रकार "एक साथ चुनाव" की अवधारणा नहीं है। चुनावी अनिश्चितता को लोकतंत्र का लचीलापन माना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखते हुए "एक साथ चुनाव" कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है।छोटे और संसाधन-संपन्न देशों में यह सफल हो सकता है। बड़े और विविधतापूर्ण देशों में यह मतदाताओं और प्रशासन दोनों के लिए भारी साबित हो सकता है।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचे में परिवर्तन की आवश्यकता

1. संविधान संशोधन

1. अनुच्छेद 83 और 172- संसद और राज्य विधानसभाओं की पाँच साल की अवधि तय करते हैं।
2. अनुच्छेद 85 और 174- संसद और विधानसभाओं को भंग करने तथा सत्र बुलाने का अधिकार।
3. अनुच्छेद 356- राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था।

इन प्रावधानों को इस प्रकार संशोधित करना होगा कि संसद और विधानसभा की अवधि को समायोजित कर एक साथ चुनाव कराए जा सकें।

2. **चुनावी विधियों में बदलाव:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आवश्यक संशोधन करने होंगे। तथा चुनाव आयोग को अतिरिक्त अधिकार देने होंगे।
3. **न्यायिक प्रक्रिया:** किसी भी संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय की कसौटी पर खरा उतरना होगा। न्यायपालिका संविधान के आधारभूत ढांचे एवं संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

प्रशासनिक और तकनीकी जरूरतें

1. एक साथ चुनाव कराने के लिए लाखों अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता होगी। तथा इनके रख-रखाव और सुरक्षित भंडारण के लिए विशाल गोदाम और तकनीकी ढाँचा बनाना होगा।
2. देशव्यापी एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस की भारी तैनाती करनी होगी। वर्तमान समय मेंसंख्या पर्याप्त नहीं है, अतः नए संसाधन जुटाने होंगे।
3. लाखों चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षित करना होगा। यह कार्य बहुत कठिन होगा।

राजनीतिक सहमति की आवश्यकता

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए केवल कानूनी संशोधन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सर्वदलीय सहमति भी आवश्यक है। क्षेत्रीय दलों को विश्वास में लिए बिना इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा।संसद में 2/3 बहुमत और कई राज्यों की विधानसभाओं की मंज़ूरी इसके लिए अनिवार्य होगी।

निष्कर्ष:

भारतीय "एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लागू करना न तो असंभव है और न ही सरल। इसे लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन, प्रशासनिक तैयारी, राजनीतिक सहमति और चरणबद्ध प्रयोग आवश्यक हैं। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में इस व्यवस्था को संतुलन और लचीलापन के साथ ही लागू किया जा सकता है। यदि इसे जल्दबाजी में लागू किया गया, तो यह संघीय ढाँचे और लोकतांत्रिक विविधता को नुकसान पहुँचा सकता है।इस प्रकार, "एक राष्ट्र, एक चुनाव" केवल एक चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य तय करने वाला व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक विचार है।

संदर्भ सूची:

पुस्तकें

1. बिपिन चंद्र – भारत का स्वतंत्रता संग्राम
2. एम. लक्ष्मीकांत – भारतीय राजव्यवस्था
3. डी. डी. बसु – भारत का संविधान : परिचय
4. सुब्बा राव, बी. – इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी
5. रजनी कोठारी – इंडियन पॉलिटिक्स एंड पार्टी सिस्टम
6. अटल बिहारी वाजपेयी – लोकतंत्र का भविष्य और चुनौतियाँ

समितियों एवं आयोगों की रिपोर्टें

1. लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, रिपोर्ट नं. 170 (1999) – Reform of Electoral Laws
2. लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, रिपोर्ट नं. 255 (2015) – Electoral Reforms
3. निति आयोग, Discussion Paper (2017) – "Analysis of Simultaneous Elections"
4. संसदीय स्थायी समिति (2015) – Feasibility of Holding Simultaneous Elections
5. मुख्य चुनाव आयुक्तों की रिपोर्टें (Election Commission of India Reports)

शोध आलेख एवं पत्रिकाएँ

1. पॉल वॉलेस – "Electoral Politics in India: Resilience and Transformation" (Economic and Political Weekly)
2. योगेन्द्र यादव – "Electoral Reforms and Indian Democracy" (Seminar Journal)
3. गिल, एस. एस. – "Simultaneous Elections: Issues and Challenges" (Mainstream Weekly)
4. प्रदीप कुमार – "One Nation, One Election: Constitutional and Practical Dimensions" (Indian Journal of Political Science)
5. अरुण कुमार – "Cost of Elections in India" (EPW, 2019)

ऑनलाइन एवं सरकारी स्रोत

1. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) – https://eci.gov.in
2. निति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट – https://niti.gov.in
3. लोकसभा सचिवालय – https://loksabha.nic.in
4. प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) – https://pib.gov.in
5. द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर और स्क्रोल जैसी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित विश्लेषणात्मक आलेख।